खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969

————

धाराओं का क्रम

————

धाराएं

उद्देशिका

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना

3. परिभाषाएं

अध्याय 2
खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड

4. बोर्ड की स्थापना और उसका निगमन

5. बोर्ड की संरचना

6. पदावधि और कुछ दशाओं में नया नामनिर्देशन

7. रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना

8. व्यक्तियों आदि को नामनिर्दिष्ट करने वाली सरकार का कर्तव्य

9. बोर्ड के अधिवेशन

10. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को अस्थायी रूप से बोर्ड के सहयुक्त करना

11. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

12. बोर्ड का कर्मचारिवृन्द

13. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का बोर्ड को अन्तरण

14. पुस्तकालय का स्थान

अध्याय 3
बोर्ड की सम्पत्ति, दायित्व और कृत्य

15. बोर्ड की सम्पत्ति और दायित्व

16. बोर्ड के कर्तव्य

17. बोर्ड की शक्तियां

अध्याय 4
वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्टें

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान

19. बोर्ड की निधि

20. बजट

21. लेखा और संपरीक्षा

22. विवरणियां और रिपोर्टें

अध्याय 5
प्रकीर्ण

23. बोर्ड को निदेश देने को केन्द्रीय सरकार की शक्ति

24. शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

25. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

26. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के परित्राण

27. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

28. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 43)

[26 दिसम्बर, 1969]

पटना स्थित खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके प्रशासन तथा कतिपय अन्य सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) यह अधिनियम खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1969 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना— एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बिहार राज्य में पटना स्थित खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

3. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "न्यास विलेख" से न्यास विलेख सं० 217 अभिप्रेत है जिसे मुरादपुर के स्वर्गीय मौलवी खुदाबख्श खां बहादुर ने 14 जनवरी, 1891 को पटना के उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में निष्पादित किया था ;

(घ) "निधि" से धारा 19 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "पुस्तकालय" से खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है ;

(च) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य सरकार" से बिहार सरकार अभिप्रेत है।

अध्याय 2

खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड

4. बोर्ड की स्थापना और उसका निगमन— (1) उस तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा।

(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के अध्यधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

5. बोर्ड की संरचना— (1) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगा, अर्थातः—

(क) बिहार का राज्यपाल, पदेन, अध्यक्ष ;

(ख) महालेखापाल, बिहार, पदेन ;

---

[1]. 21-7-1970: देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1255, तारीख, 17 जुलाई, 1970, भारत का राजपत्र, 1970, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 3074।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति जो मुरादपुर के स्वर्गीय मौलवी खुदाबख्श खां बहादुर के कुटुम्ब का सदस्य होगा ;

(घ) आठ व्यक्ति, जिनमें से चार केन्द्रीय सरकार और चार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो यथासंभव ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें पुस्तकालयों के प्रशासन संबंधी विषयों का ज्ञान और अनुभव हो ;

(ङ) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी का निदेशक, पदेन, सदस्य-सचिव ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाते ही प्रभावी हो जाएगा ।

6. पदावधि और कुछ दशाओं में नया नामनिर्देशन— (1) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधियां वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य के उपधारा (2) के अधीन त्यागपत्र दे देने के कारण से या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जा सकेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य उस शेष कालावधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट हुआ, पद धारण करता ।

(4) पदावरोही सदस्य पुनर्नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(5) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अंगशैथिल्य के कारण या अन्यथा, अपने कर्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है अथवा छुट्टी पर या अन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है, जिनमें उसका पद रिक्त न हो तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

7. रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना— बोर्ड का कोई कार्य केवल निम्नलिखित किसी कारण से अविधिमान्य न होगाः—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि ; अथवा

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि ; अथवा

(ग) उसकी प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

8. व्यक्तियों आदि को नामनिर्दिष्ट करने वाली सरकार का कर्तव्य— (1) किसी व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के पहले, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपना समाधान कर लेगी कि वह व्यक्ति कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखेगा जिसका उसके द्वारा उन कृत्यों के प्रयोग या पालन पर, जो सदस्य के रूप में उसके हैं, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, तथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के बारे में इस बात का भी समय-समय पर अपना समाधान करती रहेगी कि वह सदस्य ऐसा कोई हित नही रखता ; और जो व्यक्ति सदस्य हो या जिसे सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रस्थापना हो और जिसने ऐसा सदस्य होने की सम्मति दे दी हो वह, जब कभी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, उसे ऐसी जानकारी देगा जैसी वह सरकार इस उपधारा के अधीन अपने कर्तव्यों के अपने द्वारा पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) ऐसा नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो बोर्ड द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से हितबद्ध हो, सुसंगत परिस्थितियां उसे ज्ञात हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, बोर्ड के अधिवेशन में अपने हित के स्वरूप को प्रकट कर देगा और यह प्रकटीकरण बोर्ड के कार्यवत्त में अभिलिखित कर लिया जाएगा तथा प्रकटीकरण के पश्चात वह सदस्य उस संविदा के संबंध में बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

9. बोर्ड के अधिवेशन— (1) बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होंगे और उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, वह अपने अधिवेशनों में कार्य करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का (जिसके अन्तर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाए ।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड के अधिवेशन का सभापतित्व करेगा ।

(3) यदि कोई ऐसा नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो सरकारी अधिकारी हो, बोर्ड के किसी अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) बोर्ड के अधिवेशन में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाला सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से होगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य को एक द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

10. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को अस्थायी रूप से बोर्ड के सहयुक्त करना— (1) बोर्ड ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने से सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की वांछा उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किसी के पालन में हों।

(2) बोर्ड द्वारा किसी प्रयोजन के लिए अपने से उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उस प्रयोजन के सम्बन्ध में बोर्ड में होने वाले विचार-विमर्श में भाग ले किन्तु इस धारा के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

11. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन— बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा दी गई अन्य सभी लिखतें बोर्ड के ऐसे अधिकारी के, जो इस निमित्त उसी रीति से प्राधिकृत हो, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

12. बोर्ड का कर्मचारिवृन्द— (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में अपने को समर्थ वनाने के लिए उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उतने अदिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह ठीक समझे।

(2) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं।

13. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का बोर्ड को अन्तरण— इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि बोर्ड की स्थापना की तारीख के ठीक पहले पुस्ताकालय में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख पर और उससे बोर्ड का ऐसे पदाभिधान के साथ जो बोर्ड अवधारित करे, कर्मचारी बन जाएगा और उसमें अपने पद या सेवा को उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर तथा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर धारण करेगा जिसके लिए या जिन पर वह बोर्ड के स्थापित न किए जाने की दशा में उक्त तारीख को उसे धारण करता और वह तब तक ऐसा किए रहेगा जब तक बोर्ड में उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा निबन्धन और शर्तें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीः

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक तथा निबन्धन और शर्तें, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना इस प्रकार परिवर्तित न की जाएंगी कि वे उसके लिए अहितकर हों।

14. पुस्तकालय का स्थान— पुस्तकालय पटना में स्थित होगा।

अध्याय 3

बोर्ड की सम्पत्ति, दायित्व और कृत्य

15. बोर्ड की सम्पत्ति और दायित्व— (1) बोर्ड की स्थापना पर—

(i) वे सब सम्पत्तियां, निधियां और देय, न्यास-विलेख द्वारा गठित पुस्तकालय के न्यासियों की उस हैसियत में उनमें निहित हों या उनके द्वारा वसूलीय हों, बोर्ड में निहित होंगे और उसके द्वारा वसूल किए जा सकेंगे; तथा

(ii) पुस्तकालय सम्बन्धी सब ऐसे दायित्व, जो उक्त न्यासियों के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, केवल बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।

(2) ये सब सम्पत्तियां, जो बोर्ड की स्थापना के पश्चात् पुस्तकालय को दी जाएं, वसीयत की जाएं या अन्यथा अन्तरित की जाएं, अथवा बोर्ड द्वारा अर्जित की जाएं, बोर्ड में निहित होंगी।

16. बोर्ड के कर्तव्य— (1) न्यास-विलेख के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह पुस्तकालय का प्रबंध करे तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर पुस्तकालय के विकास के कार्यक्रमों की (जिनके अन्तर्गत दुष्प्राप्य हस्तलेखों की माइक्रोफिल्में बनाना भी है), योजना बनाए, और उनका संप्रवर्तन, संचालन और कार्यान्वियन करे तथा अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करे जिन्हें केन्द्रीय सरकार बोर्ड को समय-समय पर सौंपें।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे वह ठीक समझेः—

(क) पुस्तकालयों से सम्बद्ध विषयों में शिक्षण और अनुसंधान तथा तद्विषयक विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबन्ध करना, तथा

(ख) अन्य ऐसी सब बातें करना जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

17. बोर्ड की शक्तियां— (1) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, बोर्ड सब ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(2) ऐसे विनियमों के अध्यधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड ऐसे हस्तलेख, पुस्तकें, वस्तुएं या चीजें, जो बोर्ड की राय में पुस्तकालय में परिरक्षित किए जाने के योग्य हों, समय-समय पर खरीद सकेगा या अन्यथा अर्जित कर सकेगा ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्टें

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान— बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियां अनुदान या उधार के रूप में या अन्यथा दे सकेगी जिन्हें वह सरकार आवश्यक समझे ।

19. बोर्ड की निधि— (1) बोर्ड एक निधि रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सब धन ;

(ख) ऐसी धनराशियां जिन्हें राज्य सरकार तारीख 26 सितंबर, 1962 के अपने संकल्प सं० बी/एल० 4055/60 ई-120 को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष दें ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत सब फीसें और अन्य प्रभार;

(घ) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत, चन्दा, अभिदाय या अन्तरण के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया सब धन ;

(ङ) बोर्ड द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया सब अन्य धन ।

(2) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशियां व्यय कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे और ऐसी राशियां निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित रकम से अनधिक धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य बैंक में चालू खाते में रखी जा सकेगी, किन्तु उस धनराशि से आधिक्य की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकर्ताओं के पास निक्षिप्त की जाएगी अथवा ऐसी रीति से विनिहित की जाएगी जो केन्दीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए ।

20. बजट— (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष में उस तारीख तक तथा ऐसे प्ररूप में जो केन्दीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उसे आगामी वित्तीय वर्ष का ऐसा बजट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय तथा वे राशियां दर्शित होंगी जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित होंगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त कोई राशि किसी वित्तीय वर्ष में खर्च होने से पूर्णतः या भागतः बच रहे तो बची हुई राशि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जा सकेगी और वह उस राशि के अवधारण में, जो उस वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानी हो, गणना में ले ली जाएगी ।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से कोई भी राशि तब तक व्यय नहीं की जाएगी जब तक व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में किए गए उपबन्ध के अन्तर्गत न आता हो ।

(4) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, बोर्ड व्यय के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अथवा एक प्रयोजन के लिए किए गए उपबन्ध के स्थान पर दूसरे प्रयोजन के लिए किए गए उपबन्ध के लिए पुनर्विनियोग मंजूर कर सकेगा ।

21. लेखा और संपरीक्षा— (1) बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा एक वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं, तैयार करेगा ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उपगत व्यय बोर्ड द्वारा उसे संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को और बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे वहियां, लेखे, संबद्ध बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालय और पुस्तकालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष भेजे जाएंगे, और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

22. विवरणियां और रिपोर्टें— (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसी वितरणियां, विवरण और विशिष्टियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसमें पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान के बोर्ड के क्रियाकलाप का सत्य और पूर्ण वर्णन तथा ऐसे क्रियाकलाप का वर्णन होगा जिनका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हाथ में लिया जाना संभाव्य हो ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

23. बोर्ड को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आवद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर देः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, बोर्ड को अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) इस बात पर कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

24. शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन— बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि ऐसी सब शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका उसके द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है या उनमें से किसी का प्रयोग या निर्वहन ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए बोर्ड के किसी ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा भी किया जाएगा जो आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

25. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना— बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम या **तद्धीन** बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) को धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

26. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के परित्राण— कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, बोर्ड या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

27. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों की प्रभावी करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगीः

परन्तु जब बोर्ड की स्थापना हो जाए तब ऐसे कोई नियम बोर्ड से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तथा उनके स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य को और बोर्ड से धारा 10 के अधीन सहयुक्त किसी व्यक्ति को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ग) बोर्ड की सदस्यता के लिए निरर्हताएं और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसे सदस्य को, जो किसी निरर्हता के अध्यधीन है या हो जाता है, हटाने में किया जाना है ;

(घ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन और वह ढंग जिससे बोर्ड द्वारा या उसकी और से संविदाएं की जा सकेंगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

[1][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

---

[1] 1981 के अधिनियम सं॰ 51 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

28. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति— (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में अपने को समर्थ बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः—

(क) वे शर्तें और निर्बन्धन, जिनके अध्यधीन पुस्तकालय के हस्तलेखों और पुस्तकों का उपयोग किया जा सकेगा;

(ख) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए व्यक्तियों को बोर्ड से सहयुक्त किया जा सकेगा;

(ग) बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान, ऐसे अधिवेशनों में कार्य करने के बारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अधिवेशन में कार्य करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति;

(घ) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखना और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजना ;

(ङ) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें;

(च) वे व्यक्ति जिनके द्वारा और वह रीति जिससे बोर्ड की ओर से संदाय, निक्षेप और विनिधान किए जा सकेंगे;

(छ) वह अधिकतम रकम जो चालू खाते में रखी जा सकेगी;

(ज) रजिस्टरों और लेखाओं का रखा जाना;

(झ) पुस्तकालय के हस्तलेखों, पुस्तकों और अन्य वस्तुओं और चीजों के सूचीपत्रों और तालिकाओं का संकलन ;

(ञ) पुस्तकालय के हस्तलेखों, पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं और चीजों के परिरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ट) पुस्तकालय का साधारण प्रबन्ध ;

(ठ) पुस्तकालय के हस्तलेखों और पुस्तकों के उपयोग के लिए उद्‌गृहीत की जाने वाली फीसें और अन्य प्रभार ;

(ड) कोई अन्य ऐसा विषय जिसकी बाबत उपबन्ध बोर्ड की राय में इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हो ।

(3) बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे विनियम में जिसे उसने अनुमोदित कर दिया हो, संशोधन या फेर-फार कर सकेगी, या उसका विखंडन कर सकेगी ; और तब वह विनियम तद्‌नुसार प्रभावी होगा, किन्तु उससे उपधारा (1) और (2) के अधीन की बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

[1][(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

---

[1] 1981 के अधिनियम सं॰ 51 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।